राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011–12 जयपुर, दिनांक : 25 APR 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगें। कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जावें कि कार्य अवधि 8 घण्टे मय 1 घण्टे के विश्राम काल के हो। विश्राम काल का प्रावधान नही रखने की स्थिति में 7 घण्टे की कार्य अवधि निर्धारित की जा सकती है। जिला स्तर पर इस संबन्ध में निर्देश आपके द्वारा जारी किये जावें एवं इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जावें कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें एवं जारी आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. सचिव, मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. समस्त जिला प्रभारी/मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner